कार्यालय :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः— 372 दिनांकः— 18.5.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :— J.U.S.N.L द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अन्तर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 K.V. D/C ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 16.2635 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— वन विभागीय पत्रांक 1896 दिनांक 05.05.2017

महाशय,

प्रांसगिक पत्र द्वारा मांगी गई वांछित प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 861 दिनांक 09.05.2017, मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर के पत्रांक 469 दिनांक 12.05.2017, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका के पत्रांक 681 दिनांक 11.05.2017 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 918 दिनांक 11.05.2017 (सभी पत्रों की छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। सभी वन संरक्षकों एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है :—

क्र0सं0	पृच्छाऐं	निराकरण
1	प्रस्ताव के साथ संलग्न पार्ट—I एवं II भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नहीं है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में पार्ट—I एवं पार्ट—II की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है। **अनु0—01 एवं अनु0—02**
2	देवघर वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन से संबंधी Land Schedule में अधिसूचित वनभूमि शून्य तथा जंगल—झाड़ भूमि को 5.5529 हे0 दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव के पार्ट—II में अधिसूचित वनभूमि का रकबा 2.0850 हे0 तथा जंगल—झाड़ भूमि का रकबा 3.4679 हे0 उल्लिखित है। तदनुरूप देवघर वन प्रमंडल संबंधी Land Schedule में सुधार आवश्यक होगा।	देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि का संशोधित Land Schedule संलग्न है। **अनु0—03**
3	उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा जामताड़ा जिला में प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के अंतर्गत निर्गत प्रमाण—पत्र भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित Form-II में है, जबकि इसे Form-I में निर्गत किया जाना अपेक्षित है।	उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक 457 दिनांक 09.05.2017 द्वारा निर्गत Form-I में F.R.A, 2006 के तहत् दावा रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न। **अनु0—04**

4	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। उपर्युक्त के आलोक में त्रुटियों का निराकरण कर निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/मंतव्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :–	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य इस कार्यालय के पत्रांक 354 दिनांक 11.05.2017 द्वारा आपको भेजी गई है।
(क)	विहित प्रपत्र में पार्ट–I एवं पार्ट–II की हस्ताक्षरित प्रति।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में पार्ट–I एवं पार्ट–II की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है। अनु0–01 एवं अनु0–02
(ख)	देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि का यथा संशोधित Land Schedule ।	देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि का संशोधित Land Schedule संलग्न है। **अनु0–03**
(ग)	जामताड़ा वन प्रमंडल से संबंधित वनभूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (Form-I) में FRA संबंधित प्रमाण–पत्र।	उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक 457 दिनांक 09.05.2017 द्वारा निर्गत Form-I में F.R.A, 2006 के तहत् दावा रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न। **अनु0–04**
(घ)	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य इस कार्यालय के पत्रांक 354 दिनांक 11.05.2017 द्वारा आपको भेजी गई है।

दिशा निर्देश के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

निराकरण प्रतिवेदन भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/5/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

18.5.17

D:\SUNIL\Proposal (K)\JUSNL\Govindpur to Dumka, 220 KV DC